

उद्धरण खतौनी

ग्राम क्रमांक : 16010308082

ग्राम का नाम : मोरटा

परगना जलालाबाद

तहसील : गाजियाबाद

जनपद : गाजियाबाद


फसली वर्ष : 1418-1423

भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देव मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका संाराज्ञ उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2			3	4	5	6	7-12	13

श्रेणी : 1-क भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरो के अधिकार में हो।

00889	हरीशचन्द रामकली चैरीटेबल ट्रस्ट फ्लेट न. 12 जी.डी.ए. आफिसर फ्लेट पटेल नगर -I गा.बाद द्वारा हरीशचन्द अग्रवाल	रघुवीर शरण	उक्त	1412फ.से	719	2.0050	1418-फ. न्यायालय उपजिलाधिकारी / सहायक कलेक्टर(प्रथम श्रेणी) गाजियाबाद वाद स. 18/09-10 अन्तर्गत धारा 143 उ0प्र0 ज0वि0अधि0 ग्राम मोरटा परगना जलालाबाद तहसील व जिला गाजियाबाद अनिल अग्रवालबनाम उ0प्र0 सरकार में दिनांक 22.5.10 को निम्न आदेश पारित किया गया	-----आदेश-----ग्राम मोरटा परगना जलालाबा के खाता नम्बर 94 के ख.न. 719/2.005, 721/1.220, 777/0.9320, 779/1.9780, खाता न. 188 के ख.न. 782/0.0170, 783/0.0700, खाता न. 647 के ख.न. 780मि./ 0.1740 कुल रकबा 6.4010 हे. लगानौ फर्द फाटके अनुसार तहसीलदार गाजियाबाद की आख्या एवं शासनादेश के क्रम में स्टाम्प अपवंचना रोकने के उद्देश्य से इस प्रतिबन्ध के साथ कि विकास प्राधिकरण अधवास्थानीय निकाय के विकास एवं निर्माण व भू-उपयोगपरिवर्तन तथा भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 की उपधारा (1) सम्बन्धी प्रविधान पूर्व की भांति यथावत लागू रहेंगे, अकृषिक घोषित किया जाता है। एसडी0 (महेन्द्र प्रसाद) उपजिलाधिकारी/ सहा0 कलेक्टर(प्रथम श्रेणी) गाजियाबाद। ह.र.का. 11.6.10।	
				कुल गाटे : 4	कुल क्षे : 6.1400		279.50		


ललित शर्मा
 लेख संख्या / क० सं० / 1012
 तह० गा० बा०